योजना के शुरू के एक या दो वर्षों में रोजगार सृजन की गति कम होगी ।

8वीं योजना में रोजगार पर अधिक बल दिया गया है। रोजगार सृजन की गति को तेज करने के लिए इस योजना में क्षेत्रों/उपक्षेत्रों का तीव्र विकास तथा तुलनात्मक रूप से उच्च रोजगार संभाव्यता क्षेत्रों सहित आर्थिक विकास की उच्च दर की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

सरकार ने जहां तक संभव हो श्रमिकों के लिए संक्रमण काल को कष्टमुक्त बनाने और आधुनिकीकरण औद्योगिक पुनसंरचना आदि के परिणामों से उत्पन्न श्रमिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र का प्रावधान करने के लिए संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कर्मकारों के पुनप्रिशिक्षण और पुननियोजन तथा रोजगार सृजन योजनाओं के लिये धनराशियां उपलब्ध कराकर सहायता देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय नवीकरण निधि का गठन किया है।

बाल श्रम के उन्मूलन के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की योजना

2449. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री दिग्विजय सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की मदद से देश में बाल श्रम की प्रथा के उन्मूलन के लिए योजनाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी योजनाएं हैं और इन्हें कब तक शुरू किया जाएगा तथा ये योजनाएं किस प्रकार की हैं,

(ग) इस योजना के लिए सरकार द्वारा किन-किन स्रोतों से निधियां उपलब्ध करायी जाएंगी और इस योजना के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कितने बाल श्रमिकों की लाभ मिलने की संभावना है,

(घ) क्या सरकार इस योजना को समस्त राज्यों में कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है और यह योजना किसी राज्य में लागू की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो योजनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है तथा इस संबंध में ब्यौरा क्या है और कार्यान्वित योजनाओं तथा प्रस्तावित योजनाओं को पूरा किये जाने का निर्धारित समय क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) से (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने निम्नलिखित दो कार्यक्रमों को प्रायोजित किया है: (i) बाल श्रम कार्रवाई सहायता योजना (सी एल ए एस पी) 1992 से 1995, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय बाल श्रम नीति को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों की क्षमता में वृद्धि करना है। (ii) अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम (आइ पी ई सी), 1992 से 1996 अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत पूरा देश शामिल है, के अन्तर्गत बाल श्रम पर रोक लगाने तथा उनके कल्याण एवं पुनर्वास से सम्बन्धित परियोजनाएं चलाने के लिए मुख्यतः गैर-सरकारी संगठनों को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक मंजूर की गई विभिन्न समयावधियों वाली 80 परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 34,000 कामकाजी बालकों को प्रत्यक्ष ढंग से लाभ प्राप्त होने की आशा की जाती है। अप्रत्यक्ष ढंग से लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या इससे काफी अधिक होने की आशा है। राज्यवार मंजूर की गई परियोजनाओं की संख्या है, महाराष्ट्र--4, आन्ध्र प्रदेश--7, बिहार--2, गुजरात--3, कर्नाटक--2, मध्य प्रदेश--1, मणिपुर--1, नई दिल्ली--4, उड़ीसा--3, राजस्थान--3, तमिलनाडु--10, उत्तर प्रदेश--5, पश्चिम बंगाल 11, और अखिल भारत-4, ।

INVESTMENT AND EMPLOYMENT RATIO IN CONSTRUCTION ON INDUSTRY

@2450. **SHRI E. BALANANDAN :** Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) what is the investment and employment ratio in construction industry at present in our country;